

//1//  
--: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :-

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 44/2023

उनवान

पुष्करनारायण पुत्र नन्दकुमार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बाघसुरी, नसीराबाद  
—प्रार्थी :- जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

1. प्रेमदेवी पत्नी नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम बाघसुरी, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद  
—अप्रार्थीगण :- 1 अनुपस्थित, 2 जरियें राज. पैरोकार
3. ओमप्रकाश पुत्र नन्दकुमार
4. मुन्नीदेवी पत्नी नन्दकुमार समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बाघसुरी, नसीराबाद  
— अप्रार्थीगण :- 3 व 4 अनुपस्थित

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956



--: आदेश :-

दिनांक :- 20.1.25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बाघसुरी के चौसाला खसरा नम्बर 711 रकबा 00-01-10 के वंकिंग खसरा नम्बर 1300 रकबा 00-01-10 के हाल खसरा नम्बर 2311 रकबा 0.01 किस्म चाह प्रार्थी का पुश्तैनी है। उक्त चाह हाल राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 से 4 के नाम दर्ज है। वादग्रस्त चाह को पूर्व राजस्व मानचित्र में सही रूप में अंकित किया था। किन्तु हाल राजस्व मानचित्र में उक्त चाह को त्रुटिपूर्ण तरीके से गलत स्थान पर अंकित कर दिया है। वंकिंग खसरा नम्बर 1301 के वर्तमान खसरा नम्बर 4839/4674 की पश्चिमी सींव से लगता हुआ वर्तमान चाह खसरा नम्बर 2311 जिसके वंकिंग खसरा नम्बर 1300 जिसका फौरा व टूण्डी के सहित लगता हुआ कि जिसे वर्तमान राजस्व नक्शें में हाल खसरा नम्बर 4839/4674 की पश्चिमी सींव से चाह हाल खसरा नम्बर 2311 काफी दूर कर दिया तथा वर्तमान खसरा नम्बर 2311 व 4839/4674 के बीच वर्तमान खसरा नम्बर 2309 व 2310 की भूमि कर दी। अतः आराजी मुतनाजा का राजस्व



—2

*[Handwritten Signature]*

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद (अजमेर)

मानचित्र पूर्व अनुसार दुरुस्त किया जावे।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 4 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2311 प्रार्थी व अन्य हिस्सेदार की खातेदारी में है। उक्त चाह का वंकिंग खसरा नम्बर 1300 वंकिंग जमाबंदी में प्रार्थी व अन्य हिस्सेदार के पिता नन्दकुमार के नाम दर्ज था। खसरा नम्बर 2311 हाल राजस्व मानचित्र के अनुसार हाल खसरा नम्बर 4839/4674 की पश्चिमी मेड से लगता हुआ नहीं दर्शाया गया है। साबिक खसरा नम्बर 1300 के हाल खसरा नम्बर 2311 को साबिक मानचित्र के अनुसार हाल मानचित्र में दर्शाया जाना उचित होगा।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम बाघसुरी के हाल खसरा नम्बर 2311 रकबा 0.01 प्रार्थी व अन्य व्यक्तियों की सहखातेदारी में है। खसरा नम्बर 4839/4674 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 2309 व 2310 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज हैं। वंकिंग मानचित्र में वंकिंग खसरा नम्बर 1300 चाह वंकिंग खसरा नम्बर 1301 की पश्चिमी मेड पर स्थित था। हाल राजस्व मानचित्र में उक्त चाह व वंकिंग खसरा नम्बर 1301 को दूर सिति करते हुये खसरा नम्बर 2309 व 2310 की भूमि अंकित कर दी है। हाल खसरा नम्बर 2309 व 2310 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की है। जबकि हाल राजस्व मानचित्र में चाह के खसरा नम्बर 2311 को हाल खसरा नम्बर 4839/4674 की पश्चिमी मेड पर पूर्व मानचित्र के अनुसार ही अंकित किया जाना था। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 4 प्रकरण में अनुपस्थित है। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर हाल राजस्व मानचित्र में त्रुटि को स्वीकार करते हुये मानचित्र दुरुस्त करने में सहमती दी है। हाल व साबिक राजस्व मानचित्र के अवलोकन से भी प्रार्थना पत्र के कथनों की ताईद होती है। प्रार्थी राजस्व मानचित्र दुरुस्त करवाने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम बाघसुरी के हाल खसरा नम्बर 2311 व 4839/4674 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी के हाल व वंकिंग राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटी को उक्तानुसार दुरुस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद